न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 42/2010/रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

मानसिंह, भींखसिंह, छीतरसिंह पुत्रगण रिछपाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पीथलपुर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू—राजस्व अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांकः—28.08.2019**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पीथलपुर तहसील नीमकाथाना की भूमि खसरा नम्बर 285 रकबा 0.30 किस्म बंजड़ दोयम खाता संख्या 1 में सम्वत 2019 में दर्ज रिकार्ड थी। उक्त जमाबन्दी में भूमि बंजड़ दोयम दर्ज रिकार्ड थी। उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार ने आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 15.06.1999 को उक्त भूमि को कृषि योग्य भूमि मानकर उक्त भूमि श्री मानसिंह, भीखसिंह, छीतरसिंह पुत्र रिछपालसिंह के नाम आवंटन कर दी गई। आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं होने से रिकार्ड में अमल नहीं हुआ है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत गैर मुमकीन नदी/नाला/झील/तालाब/चारागाह/जलाशयों की भूमि का आवंटन योग्य नहीं है। उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार द्वारा अप्रार्थीगण को आवंटित की गई भूमि पर आवंटियों का मौके पर कब्जा नहीं है। आवंटित भूमि पर आवंटियों का कब्जा नहीं होने से उक्त वर्णित भूमि भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 एवं सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 के प्रावधान के अन्तर्गत रेफरेन्स योग्य है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के रिट संख्या 1536/03 में पारित आदेश के क्रियान्वयन में रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1955 एवं अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार के आवंटन आदेश दिनांक 15.06.1999 को निरस्त फरमाकर वादग्रस्त भूमि को सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित करवावें।

विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस न्यायिक दृष्टांत RRD- 2016 पेज 163, RRD- 2016 पेज 317, RRD- 2016 पेज 144, RRD- 2016 पेज 787, RRD- 1996 पेज 161, RRD- 2003 पेज 1249, RBJ- 2000(7) पेज 105 पेश किये। हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियां प्रस्तुत न्यायीक दृष्टांत में विवेचित प्रकरण की परिस्थितियों से भिन्न है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन एवं बहस का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर

Web Copy - Not Official

रकबा 0.30 है0 किस्म बंजड़ दोयम वर्तमान में सिवायचक दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि श्री मानसिंह, भीखसिंह, छीतरसिंह पि. रिछपालसिंह जाति राजपूत निवासी पीथलपुर को दिनांक 15.06.1999 को आवंटन हुई थी। आवंटित भूमि पर आवंटियों का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। आवंटित भूमि में से मौके पर वर्षो पुराना आम रास्ता है जो ग्राम मोदाड़ी के समस्त ग्राम वासियों के काम में आ रहा है। मौका स्थिति के अनुसार उक्त भूमि आवंटन योग्य नहीं है। अतः उक्त आवंटन विरूद्व 14(4) की कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत है।" चूंकि आवंटन आदेश के विरूद्व हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत की गई है। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत करने पर तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया है। प्रकरण आवंटन आदेश के विरूद्व होने से प्रकरण को नियम 14(4) में समायोजित किया जाता है। नियम 14(4) इस प्रकार है– The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Officer (or a tehsildar under the rules repealed by Rule 21 of the rules) either suo moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made ahainst rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment :

provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard.

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2019–2022 में भूमि खसरा नम्बर 285 की किस्म बंजड़ दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2052–2055 में उक्त आराजियात राजस्थान सरकार के नाम से दर्ज रिकार्ड है जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2056–2059 में भी दर्ज रिकार्ड अंकित है। चूंकि वादग्रस्त आराजियात नियमन परामर्शदात्री समिति कैम्प सांवलपुरा तंवरान के निर्णय दिनांक 15.06.1999 को अप्रार्थीगण के नाम से नियमन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रार्थीगण के पक्ष में आवंटन/नियमन की गई भूमि पर आवंटियों का कब्जा काश्त नहीं होना अंकित किया गया है। आवंटित भूमि पर आवंटियों का कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटियों को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुये है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अनुसार खसरा नम्बर 285 सम्पूर्ण रकबा राज्य सरकार के खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि आवंटित भूमि पर आवंटिती व्यक्ति का कब्जा काश्त नहीं है। जबकि आवंटन शर्तो में यह मुख्य शर्त है कि आवंटिती व्यक्ति को यथाशीघ्र भूमि पर काश्त कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा। अतः प्रथम दृष्टा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन बहाल रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः निर्णय नियमन परामर्शदात्री समिति कैम्प सांवलपुरा तंवरान तहसील नीमकाथाना की भूमि खसरा नम्बर 285 में दिनांक 15.06.1999 को अप्रार्थीगण मानसिंह भीखसिंह छीतरसिंह पुत्रगण रिछपालसिंह राजपूत को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है। मूल पत्रावली निबंधक राजस्व मण्डल राज. अजमेर को भेजी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते